

प्रेस नोट दिनांक 05.10.2020

1. दिनांक 04.10.20 को वादी उ०नि० श्री पवन राठौर थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गोली पासी पुत्र राम इन्द्र नि० कादीपुर चितावां थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 30 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 721/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 04.10.20 को वादी व०उ०नि० श्री राजेश कुमार सरोज थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शोभ नाथ पुत्र आशाराम नि० सराय चैमल थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 566/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 04.10.20 को वादी श्री शिव प्रसाद वर्मा पुत्र स्व० राम मनोरथ वर्मा नि० देवगढ़ थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र ब्रम्हादीन नि० बबुआपुर थाना महाराजगंज अयोध्या अभि० द्वारा बिना अनुमति के महुआ का हरा पेड़ काट कर लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 422/20 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 04.10.20 को वादी श्री राम प्यारे पुत्र स्व० राम जियावन नि० सलोनिया मजरे मीरपुर कौटा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम दुलारे प्रजापति स्व० राम जियावन नि० सलोनिया मजरे मीरपुर कौटा थाना रौनाही अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा खेत में सिचाई कर रहे वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 450/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 04.10.20 को वादी श्री मो० वशीम पुत्र मो० मोबीन नि० कोटिया थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 65 जीटी 9039 डीसीएम का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के नाना की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाना व मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 425/20 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।